न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016-17 R-201-I-17

91

अनिल तनय राजकुमार जैन निवासी ग्राम सुन्दरपुर तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ..निगराकार

बनाम

1. लक्ष्मी प्रसाद तनय विन्द्रावन लोधी
2. जितेन्द्र तनय गोकल प्रसाद लोधी समस्त निवासीयान ग्राम सुन्दरपुर तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ..प्रति निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रं. 5/स्व.निगरानी/15-16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :-

1. यह कि ग्राम कछियाखेरा एवं ग्राम नैनवारी मण्डल समर्रा तहसील टीकमगढ़ में स्थित भूमियां रकवा 2.000 आरे व रकवा 2.880 आरे की भूमियों जो कि पूर्व से गौचर व बंजर म.प्र. शासन दर्ज रही है, पर अनावेदकों ने सांठ-गांठ करके अपने नाम रिकार्ड में दर्ज करा ली और न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ से वर्ष 1997-98 में अदला-बदली अन्य ग्राम सुन्दरपुर रा.नि.म. समर्रा तहसील टीकमगढ़ शासकीय भूमियों पर अपना नाम दर्ज करा लिया, इस तथ्य को शिकायत के रूप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु आवेदन किया गया, जो आवेदन पूर्व में आर्डर सीट पर आदेश करते हुये ग्राहय किया गया और कब्जा पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश किया गया किन्तु वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा पूरी जांच किये बगैर ही ग्राहयता पर पुनः आदेश करते हुये सुनवाई करने की अधिकारिता नही होना लेख कर आवेदन अमान्य किया गया है, ऐसा आदेश विधि विधान व पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है।

2. यह कि जब एक बार न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में चुनौतित प्रकरण ग्राहय आर्डर सीट पर आदेश करके किया जा चुका था, और स्थगन जारी किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन लिया जा चुका था, इस प्रतिवेदन में अवैध प्रविष्टि होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित हो चुका था, ऐसी स्थिति में पुनः उसी न्यायालय को ग्राहयता पर आदेश करने की अधिकारिता नही रहती है, किन्तु मनमाने ढंग से विधि विरूद्ध

क्रमशः....2

91

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक-निगरानी- 201- एक/2017 जिला-टीकमगढ़

अनिल विरूद्ध लक्ष्मीप्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~02-01-2019~~ 04.01.19.	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रस्तुत प्रकरण अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 5/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना	

3

होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
4.1.19